

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:-एफ 7(47)/परि/नियम/मु./2023/ 9360

जयपुर, दिनांक:- 20-6-23

कार्यालय आदेश 14/2023

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 167(क) के प्रावधानानुसार सडक सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और प्रवर्तन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन युक्ति को हस्ताक्षरित अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने एवं नवीनीकरण किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांक:-एफ 7(47)/परि/नियम/मु./2023/ 9361 - 71

जयपुर, दिनांक:- 20-6-23

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा।
4. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस यातायात, राजस्थान।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
7. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए. आई राजस्थान।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारी।
9. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
10. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा
Document Certified by Kanhaiya Lal
Swami <kanhaiyalalias@gmail.com>
Digitally Signed by Kanhaiya
Lal Swami
Designation: Commissioner
Date :19-06-2023 05:39:07